

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 03/04/2026

संख्या-संचिका सं०-17/स्था०(कार्यप्रभार)-22-12/2025- 6055/सा०प्र०-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना सं०-18775, दिनांक-04.10.2025 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक-11.04.2019 से 13.10.2023 के बीच बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को अवर सचिव के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन वेतनमान का वैचारिक लाभ प्रदान किया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	तत्कालीन कोटि	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2009 के अनुसार)	वैचारिक रूप से अनुमान्यता की तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	पुनर्निर्धारित पेंशन के देयता की वास्तविक तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव,	प्रशाखा पदाधिकारी	3100	31.08.2023	04.10.2025
2.	श्री राकेश रमण श्रीवास्तव	प्रशाखा पदाधिकारी	3128	31.12.2019	04.10.2025
3.	श्री अरुण कुमार सिंह,	प्रशाखा पदाधिकारी	3130	31.01.2023	04.10.2025
4.	श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी	3135	30.04.2019	04.10.2025
5.	श्री विजय बहादुर सिंह,	प्रशाखा पदाधिकारी	3138	31.01.2021	04.10.2025
6.	श्री विनय कुमार झा,	प्रशाखा पदाधिकारी	3146	30.06.2020	04.10.2025
7.	श्री बीरेन्द्र प्र० सिंह,	प्रशाखा पदाधिकारी	3164	30.11.2020	04.10.2025
8.	श्री भरत भूषणलाल दास,	प्रशाखा पदाधिकारी	3181	31.01.2022	04.10.2025
9.	श्री राजेन्द्र कुमार,	प्रशाखा पदाधिकारी	3190	31.10.2019	04.10.2025
10.	श्री विनोद कुमार नागवंशी,	प्रशाखा पदाधिकारी	3208	31.12.2022	04.10.2025
11.	श्री अशोक कुमार,	प्रशाखा पदाधिकारी	3264	31.05.2019	04.10.2025
12.	श्री तारकेश्वर रविदास,	प्रशाखा पदाधिकारी	3267	31.12.2022	04.10.2025
13.	श्री रामाशीष पासवान,	प्रशाखा पदाधिकारी	3292	28.02.2022	04.10.2025
14.	श्री विनय प्रसाद,	प्रशाखा पदाधिकारी	3334	30.06.2019	04.10.2025
15.	श्री उमेश कुमार,	प्रशाखा पदाधिकारी	3362	31.12.2021	04.10.2025

16.	श्री द्वारिका प्रसाद यादव,	प्रशाखा पदाधिकारी	03/भाग-2	31.03.2020	04.10.2025
17.	श्री विद्या प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी	125/भाग-2	30.04.2020	04.10.2025
18.	श्री बीरेन्द्र नाथ खन्ना,	प्रशाखा पदाधिकारी	145/भाग-2	31.03.2020	04.10.2025
19.	श्री ब्रज बिहारी प्रसाद,	प्रशाखा पदाधिकारी	170/भाग-2	31.08.2019	04.10.2025
20.	श्री रमाकान्त प्रसाद,	प्रशाखा पदाधिकारी	200/भाग-2	30.06.2022	04.10.2025
21.	श्री अम्बीका प्रसाद दास	प्रशाखा पदाधिकारी	259/भाग-2	30.04.2020	04.10.2025
22.	श्री राम चन्द्र पासवान	प्रशाखा पदाधिकारी	298/भाग-2	31.05.2019	04.10.2025
23.	श्री कृष्णा चौधरी	सहायक	313/भाग-2	31.03.2020	04.10.2025
24.	श्री विनायक पद्माकर	प्रशाखा पदाधिकारी	366/भाग-2	30.09.2023	04.10.2025
25.	श्री अजय कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी	377/भाग-2	31.05.2022	04.10.2025
26.	श्री रबिरंजन कुमार सिन्हा	प्रशाखा पदाधिकारी	378/भाग-2	31.01.2023	04.10.2025
27.	श्री रामलगन राय	प्रशाखा पदाधिकारी	387/भाग-2	31.08.2020	04.10.2025
28.	श्री दिनेश नन्दन सहाय	प्रशाखा पदाधिकारी	388/भाग-2	30.11.2020	04.10.2025
29.	श्री जेवियर लॉरेन्स साह	प्रशाखा पदाधिकारी	406/भाग-2	31.08.2019	04.10.2025
30.	श्री अलख निरंजन प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी	418/भाग-2	31.01.2021	04.10.2025
31.	श्री बिनोद कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी	422/भाग-2	31.05.2022	04.10.2025
32.	श्री रामाशीष प्रसाद पाल	प्रशाखा पदाधिकारी	441(XIII) / भाग-2	31.12.2019	04.10.2025
33.	श्री सुनिल कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी	478/ भाग-2	31.03.2021	04.10.2025
34.	श्री रमेश कुमार सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी	534/ भाग-2	30.06.2023	04.10.2025
35.	श्री अंबु नाथ वर्मा	प्रशाखा पदाधिकारी	624/ भाग-2	30.06.2022	04.10.2025
36.	श्री अरविन्द कुमार झा	प्रशाखा पदाधिकारी	626/ भाग-2	30.09.2022	04.10.2025
37.	श्री विमल कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी	827/ भाग-2	31.03.2022	04.10.2025

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना सं0-18775, दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अधधीन है।

3. उपर्युक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को उक्त लाभ वैचारिक रूप से अनुमान्य किया जायेगा, इसलिए इस क्रम में सेवाकाल में किसी भी प्रकार का अनुमान्य बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस आधार पर वेतन एवं सेवानिवृत्ति के समय वेतन का निर्धारण वैचारिक रूप से किया




जाएगा। तदनुसार पेंशन का वैचारिक पुनर्निर्धारण किया जाएगा जिसका वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक-04.10.2025 से अनुमान्य होगा।

4. विभागीय अधिसूचना-18775, दिनांक-04.10.2025 के आलोक में उपर्युक्त बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चतर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ/पेंशन पुनरीक्षण संबंधी कार्य महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना के स्तर से अपेक्षित होगा।

5. ऐसे पदाधिकारीगण, जिन्हें ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0/प्रोन्नति आदि के फलस्वरूप पूर्व से ही उच्च प्रक्रम का वेतन प्राप्त हो रहा है, उनका वेतन प्रक्रम अपरिवर्तित रहेगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था0(कार्य0प्रभार)/22-12/2025 6055 /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक-03/04/2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-15, 16 एवं 24, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।